भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय,

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल – 17

Phone □□: 2661263,2737446 **Fax:** 2661263 **Website:**bsgmp.net **E_mail:**scoutguide_bpl@dataone.in

क्र0/ 2396 **/रा0मु0/गति./2014** **भोपाल, दिनांक** 6-6-14

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आ.वि.
पदेन
जिला कमिश्नर स्काउट
जिला.........................म.प्र.

विषयः– **दल गठन अभियान – 2014**

सन्दर्भ :– राज्य के वार्षिक कार्यक्रम 2014–15 के अनुक्रम में।

---000---

विषयांतर्गत लेख है कि शासन की मंशा अनुसार प्रदेश के सभी विद्यालयों में कब–बुलबुल, स्काउट–गाइड एवं रोवर–रेंजर दलो का गठन किया जाना है। जिसकी विस्तृत तिथिवार कार्ययोजना एवं निर्देश संलग्न कर भेजी जा रही है। सभी जिलो में आपके नेतृत्व में ब्लाक स्तर तक दल गठन अभियान संचालित किया जाना है। इस संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण एवं आयुक्त, आदिवासी विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक कलेण्डर में भी जुलाई माह में ही लक्ष्य सौंपा गया है। दल गठन अभियान के संबंध में निर्देश के साथ–साथ प्रपत्र भी संलग्न किये जा रहे है जो निम्नानुसार है :–

1. दल गठन अभियान प्रभावी ढंग से हो एवं नवीन दलों का गठन हो इसके लिये आपके पास अपंजीकृत शासकीय/अशासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों को चिन्हित कर सूचीबद्ध करने का कार्य 10 जुलाई के पूर्व तक कर लिया जायें। **(संलग्न : प्रपत्र क्र–01 के अनुसार)**
2. अपंजीकृत शासकीय/अशासकीय विद्यालयों को स्काउट–गाइड दल संचालन हेतु पंजीकृत कराने हेतु संबंधित प्राचार्यो को आपकी ओर से लिखित में निर्देश 10 जुलाई 2014 तक जारी किये जावें, ताकि वह विधालय में दल गठन में रूचि ले सकें।
3. अपंजीकृत शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में दल गठन हेतु डी.ओ.सी./डी.टी.सी. (स्काउट/गाइड) जिला सचिव, कोषाध्यक्ष के साथ विकासखंड पदाधिकारियों, स्काउटर–गाइडर पंजीकृत कराने हेतु सुनिश्चित कर अधिकतम 01 स्काउटर–गाइडर को पॉच विद्यालय पंजीकृत कराने हेतु लक्ष्य सौंपकर दिनांक 20 जुलाई 2014 के पूर्व निर्धारण करने हुए लिखित आदेश भी जारी किया जावें। **(संलग्न : प्रपत्र क्र–02 के अनुसार)**
4. दल गठन अभियान हेतु उपस्थित होने वाले गठन प्रभारी के जाने की सूचना पूर्व से ही संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख को दे दी जावें ताकि वे भी संस्था में उपस्थित रहें। दल गठन अभियान के प्रभारी विद्यालयों में दल गठन हेतु पहुँचने पर अपने साथ दल पंजीकरण प्रपत्र अवश्य साथ ले जावें। पंजीकरण प्रपत्र के साथ तीन प्रतियों में दल के सदस्य छात्र/छात्राओं के सूची

साथ ही संस्था से एक स्काउटर–गाइडर हेतु शिक्षक/शिक्षिका के नाम भी लिखित सहमति के साथ प्राप्त करे, ताकि उक्त शिक्षक को प्रशिक्षत करने के पश्चात दल संचालन प्रारंभ किया जा सकें। दल संचालन में सहयोग हेतु संस्था प्राचार्य की भी लिखित में सहमति प्राप्त की जावें, यह कार्य दिनांक 30 जुलाई के पूर्व किया जाना है। **(संलग्नः दल गठन हेतु प्रपत्र)**

5. दल गठन पंजीकरण कार्य की पूर्ति एवं तीन प्रतियों में दल के छात्र/छात्राओं की सूची के साथ 01 दल की पंजीयन राशि, **32 स्काउट–गाइड** हेतु **30=00 रू.** + कोटामनी राशि **32X10=320=00** रू एवं प्रति यूनिट लीडर शुल्क **15=00** रू इस प्रकार कुल राशि **365=00** रू. + विधालय में दर्ज छात्र संख्या के आधार पर प्राप्त स्काउट शुल्क का **05%** ड्राफ्ट कुल राशि.......................जिला कमिश्नर स्काउट, जिला.................के नाम से तैयार कराया जावें। इसके लिए 32 छात्र/छात्रा के पंजीयन हेतु निर्धारित राशि का विस्तृत विवरण संलग्न है।

6. प्रतिदिन दल गठन पंजीकरण फार्म, सूची मय राशि के ड्राफ्ट सहित जिला कमिश्नर स्काउट कार्यालय में जमा की जावें एवं दल गठन अभियान के समाप्ति पश्चात निर्धारित तिथि में राज्य मुख्यालय भोपाल को सम्पूर्ण प्रतिवेदन भेजें। **संलग्न प्रपत्र ए.एस.ओ.सी. के माध्यम से प्रेषित करें।**

7. स्काउट–गाइड दल गठन अभियान की समीक्षा जिला स्तर पर आपके द्वारा **प्रत्येक सप्ताह की टी.एल. बैठक में अनिवार्य रूप से की जावें एवं प्रगति की जानकारी ली जावें।**

अतः दल गठन अभियान की विस्तृत कार्ययोजना एवं आवश्यक प्रपत्र के प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है। कृपया दल गठन अभियान संचालित कर प्रगति प्रतिवेदन से समय–समय पर इस कार्यालय क़ो अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– 1. कार्ययोजना
2. प्रपत्रो के प्रारूप–3

राज्य सचिव 3/6/14
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

पृ0क्र0/8397/रा0मु0/गति./2014 भोपाल, दिनांक 6-6-14

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. गौतम नगर भोपाल।
2. आयुक्त, आदिवासी विकास म.प्र., सतपुडा भवन, भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर, जिला......................।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला............................।
5. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग..।
6. समस्त उपायुक्त, आदिवासी विकास संभागीय कार्यालय...............................।
7. समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का.गा.) संभागीय कार्यालय.............................।
8. समस्त जिला मुख्य आयुक्त/जिला कमिश्नर–गाइड जिला..........................।
9. समस्त जिला सचिव/जिला संगठक (स्का.गा.) जिला संघ.................................।

राज्य सचिव 3/6/14
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.